न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—139/2018/223 (2018/00139)

1. समन्दर सिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह, जाति मेहरात, नि0 जसवन्तपुरा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 9.3.2018 अंतर्गत वाद संख्या 63/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.3.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीपुरा, तहसील मसूदा स्थित आराजी खसरा नंबर 822 रकबा 7—19—10 किस्म बारानी—3 पर वादी उनके पूर्वजों के समय से लगभग 30 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा नियमित रूप से काश्त की जाती रही है । परन्तु वादी के नाम का इंद्राज अभिलेख में नहीं होने से यह वाद पेश करना पड़ा है । अतः वाद स्वीकार कर वादी/अपीलांट को विवादित आराजी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.3.2018 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का उसके पूर्वजों के समय से गत् 30 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा निरन्तर काश्त की जाती रही है ।

अपीलांट को विवादित आराजी से आज दिवस कभी भी बेदखल नहीं किया गया है । मान0 राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजकीय सिवायचक भूमि पर किसी व्यक्ति को तीस वर्ष से अधिक का कब्जा मुखालफाना होता है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है । उक्तानुसार अपीलांट को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गये है । वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा कब्जे की पुष्टि बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे जिन्हें अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने अपील में यह भी निवेदन किया कि दिनांक 27.9. 2017 को तारीख पेशी के दिन वाद मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, जिस पर न्यायालय ने प्रतिवादी के जवाब के आधार पर वादी को उपरोक्त प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रसतुत करने बाबत् निर्देशित किया आर वाद को निर्णय करने हेतु सुरक्षित रख लिया । इसके उपरांत समय–समय पर वादी ने निर्णय की जानकारी चाही तो अवगत कराया कि अभी निर्णय पारित नही हुआ है । दिनांक 24.4.2018 को जब वादी अभिभाषक से तारीख पेशी के लिए न्यायालय परिसर में गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त वाद का निर्णय दिनांक 9.3.2018 को ही कर दिया गया है । जिस पर दिनांक 24.4.2018 को नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 31.5.2018 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे । अन्त में विद्वान वकील अपील अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । अपीलांट का कब्जा मात्र अतिचारी की हैसियत से है जिसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । यद्यपि अपीलांट ने अपील विलंब से पेश किये जाने तथा विलंब को क्षम्य किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश नहीं किया है किन्तु अपीलांट ने अपीलमीमों के अंतिम पैरा में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय के कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है किन्तु कब्जे काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । वादी अधी0न्याया0 के समक्ष कब्जे काश्त के संबंध में धारा 91 के प्रति पेश की है जिसमे खसरा नंबर 822 रकबा 7–19–10 बीघा पर श्रीमती सुरमा पत्नी समन्दरसिंह का कब्जा काश्त होना अंकित है जबकि वाद समन्दरसिंह वादी द्वारा पेश किया गया है ।

वादी/अपीलांट ने स्वंय के कब्जे काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । वैसे भी कब्जे काश्त के आधार पर नियमों में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट को सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष नियमन/आवंटन की कार्यवाही करने करनी चाहिये । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित कर वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है । फिर भी अपीलांट विद्यमान नियमों/प्रावधानों के तहत विवादित आराजियात के नियमानुसार नियमन/आवंटन की कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.3.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर